



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2017/फाल्गुन 1, 1938

No. 121]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2017/PHALGUNA 1, 1938

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 149(अ).—**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2015 के अधिक्रमण में, ऐसी चीजों को छोड़कर जो अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने के लिए छोड़ी गई हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से, एतद्वारा बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माता और 6 माह से 6 साल के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित) के लिए वर्ष में 300 दिन के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट हकदारियों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

## भाग I – प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत) नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” का अभिप्राय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) से है;

(ख) “बोर्ड” का अभिप्राय खाद्य एवं पोषण बोर्ड से है;

- (ग) “भोजन” का अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में यथा परिभाषित भोजन से है;
- (घ) “खाद्य सुरक्षा भत्ता” का अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 के खंड (7) में यथापरिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता से है;
- (ङ.) “धारा” का अभिप्राय अधिनियम की धारा से है;
- (च) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में उनके अभिप्राय निर्धारित हैं।

### भाग II - पात्रता एवं पोषण मानक

3. **पात्रताओं का स्वरूप** – (1) अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 में उल्लिखित पात्रताएं बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माता तथा 6 माह से 6 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे (कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित) को केंद्र सरकार की आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा स्कीम) के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी।

(2) आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा) के तहत पूरक पोषण मुख्यरूप से संस्तुत आहार भत्ता तथा औसत दैनिक आहार ग्रहण के बीच अंतर को पाटने के लिए तैयार किया गया है।

4. **भोजन परोसने का स्थान** – (1) आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) एक स्वयं चयनित स्कीम है तथा धारा 4 के खंड (क), धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 में यथाउल्लिखित पात्रताएं उनको उपलब्ध होंगी जो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण कराएंगे और समय-समय पर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित इसके कार्य के घंटों के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में आएंगे।

(2) भोजन निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान किया जाएगा, जहां लाभार्थी पंजीकृत या नामांकित है।

5. **आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण** – लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) के तहत पूरक पोषण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	श्रेणियां	अधिनियम की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों के अनुसार भोजन या खाद्य का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1	बच्चे (6 से 36 माह)	अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) के दिशानिर्देशों के अनुसार घर ले जाने वाला राशन।
2	कुपोषित बच्चे (6 से 36 माह)	800 कैलोरी तथा 20-25 ग्राम प्रोटीन के खाद्य संपूरण के साथ उपर्युक्त प्रकार का घर ले जाने वाला राशन।
3	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) के मानदंडों के अनुसार सवेरे का नाश्ता तथा गरम पका हुआ भोजन।
4	कुपोषित बच्चे (3 से 6 वर्ष)	3-6 आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किए जाने वाले भोजन या खाद्य के अलावा अतिरिक्त 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8-10 ग्राम प्रोटीन।
5	गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली या धात्री माताएं।	अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आंगनवाड़ी सेवा (समेकित बाल विकास सेवा) के दिशानिर्देशों के अनुसार घर ले जाने वाला राशन।

**नोट :** 6 माह की आयु तक बच्चों के लिए स्तनपान शीघ्र शुरू कराने एवं केवल स्तनपान कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा। 6 माह से 12 माह के बच्चों के लिए आयु के अनुरूप पर्याप्त पूरक आहार (अनाज आधारित) का सुनिश्चय किया जाएगा तथा सतत स्तनपान के साथ 12 माह से 24 माह की आयु तक संतुलित खाद्य प्रदान किया जाएगा।

6. **पोषण संबंधी मानक** – पोषण संबंधी मानक वही होंगे जो अधिनियम की अनुसूची II तथा समय-समय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोषण एवं आहार संबंधी मानकों में प्रदान किए गए हैं।

### भाग III – भोजन की गुणवत्ता तथा मानक का अनुरक्षण, उनका प्रवर्तन एवं निगरानी

7. **भोजन तैयार करना तथा उसकी गुणवत्ता एवं मानक का अनुरक्षण –** (1) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा खाद्य सामग्रियों के प्रापण तथा भोजन तैयार करने का कार्य भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों, अधिनियम की अनुसूची II तथा उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) के सहयोग से, खाद्य सुरक्षा के मानकों के मामले में पूरक पोषण के अलावा खाद्य संघटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

(3) पूरक पोषण प्रति आहार अंतःक्षेप की लगातार गुणवत्ता और पोषाहारीय मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वच्छ स्थिति बनाए रखने के लिए भोजन पर्याप्त सफाई और सुरक्षित पेयजल वाली रसोई में ही तैयार किया जाता है।

(4) खाद्य सुरक्षा मानकों के मामले में पूरक पोषण के अलावा खाद्य संघटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(5) बोर्ड, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से, आवधिक जांच करेगा और खाने की जांच करेगा अथवा उस समय प्रवृत्त किसी भी कानून द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से जांच कराएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों एवं गुणवत्ता से मेल खाता हो।

(6) उसी प्रकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी औचक निरीक्षण करेगा और नमूना लेगा और भोजन की गुणवत्ता एवं पोषाहारीय मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी जांच कराएगी।

(7) आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों को खाना परोसने से पहले इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अथवा सहायिका द्वारा चखा जाना चाहिए।

8. **खाद्य सुरक्षा भत्ता –** (1) खाद्यान्नों की अनुपलब्धता और किसी अन्य कारण से किसी दिन आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों को भोजन की अनापूर्ति के मामले में, राज्य सरकारें अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नियम 3 में संदर्भित प्रत्येक लाभार्थी को नियम 11 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार नियम 2 के खण्ड (घ) में यथापरिभाषित खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेंगे:

बशर्ते कि किसी भी कारण से भोजन दिए जाने पर लाभार्थी द्वारा खाना न लेने के मामले में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा आंगनवाड़ी केन्द्र के ऊपर खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का दावा नहीं होगा:

बशर्ते कि इसके अलावा नियम 7 के उपबंधों के अध्यक्षीन खाद्यान्नों एवं भोजन की गुणवत्ता के कारण राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऊपर कोई दावा नहीं होगा।

(2) खाद्यान्नों की अनापूर्ति के लिए लाभार्थी से शिकायत मिलने पर, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मामले की जांच करेगा, और यदि लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का निर्णय लिया जाता है, तो लाभार्थी को शिकायत पर निर्णय के एक माह के भीतर हकदारी के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि आंगनवाड़ी केन्द्र में लगातार तीन दिन अथवा एक माह में कम-से-कम पांच दिन भोजन प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति अथवा एजेंसी की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

9. **पूरक पोषण की निगरानी और समीक्षा प्रबंधन का उत्तरदायित्व** – संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और समय-समय पर केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर गठित निगरानी एवं समीक्षा समितियां समय-समय पर केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में परिभाषित उनकी भूमिका के अनुसार जल एवं सफाई सुविधा सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित कार्यक्रम सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बिना किसी बाधा के पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति और आयोडीन युक्त और आयरन संपुष्टिकृत आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करने, मानकों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण दौरे सुनिश्चित करने, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक आहार की प्रदायगी की विधि, स्व-सहायता समूहों की भागीदारी, उनके माध्यम से पूरक पोषण की आपूर्ति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपरोक्त से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के लिए जिम्मेवार होंगे:

बशर्ते कि स्व-सहायता समूहों की भागीदारी होने तक, पूरक पोषण की आपूर्ति केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मौजूदा नियमों एवं विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य स्रोतों अथवा अनुमोदित एजेंसियों से सुनिश्चित की जाएगी।

#### भाग IV – लागत मानक और लागत भागीदारी

10. **पूरक पोषण मानक** – पूरक पोषण केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित पोषण एवं आहार मानकों के अनुरूप होगा।

11. **पूरक पोषण के लिए लागत मानक** – लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागत मानक निम्नानुसार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यथासंशोधित होंगे:

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान दर (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)
(1)	(2)	(3)
1.	बच्चे (6 से 72 माह के बीच)	6.00 रुपये
2.	कुपोषित बच्चे (6 से 72 माह के बीच)	9.00 रुपये
3.	गर्भवती महिलायें और स्तनपान कराने वाली माताएं	7.00 रुपये

12. **पूरक पोषण की लागत भागीदारी का अनुपात** – (1) आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा) के अंतर्गत पूरक पोषण की लागत, इन नियमों के अनुसार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखण्ड राज्यों में लागत 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी और शेष 10 प्रतिशत ऐसी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अथवा विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नामतः दिल्ली एवं पुदुच्चेरी द्वारा समान अनुपात में अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा संशोधित अनुपात में साझा किया जाएगा।

(2) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, नामतः अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप के लिए केन्द्र सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं (समेकित बाल विकास सेवा) के अंतर्गत पूरक पोषण प्रदान करने के लिए पूरी लागत अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा संशोधित अनुपात में वहन करेगी।

13. **नियमों का किसी स्कीम पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना** – इन नियमों के उपबंध केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही किसी भी मौजूदा स्कीम के अतिरिक्त होंगे और ऐसी स्कीमों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

[फा. सं. 22-3/2016-सीडी-III]

लीना नायर, सचिव

**MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th February, 2017

**G.S.R. 149(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) and clause (c) of sub-section (2) of section 39 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), and in supersession of the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the State Governments and Union territory Administrations, hereby makes the following rules to regulate the entitlements specified under the provisions of the said Act for every pregnant woman and lactating mother till six months after child birth, and every child in the age group of six months to six years (including those suffering from malnutrition) for three hundred days in a year, as per the nutritional standards specified in Schedule II to the said Act, namely: –

**PART I – PRELIMINARY**

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Supplementary Nutrition (under the Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(b) “Board” means Food and Nutrition Board;

(c) “meal” means the meal as defined in clause (9) of section 2 of the Act;

(d) “food security allowance” means the food security allowance as defined in clause (7) of section 2 of the Act;

(e) “section” means section of the Act;

(f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**PART II – ENTITLEMENT AND NUTRITIONAL STANDARDS**

- 3. Nature of entitlements.**— (1) The entitlements referred to in sections 4, 5 and section 6 of the Act shall be provided under the Supplementary Nutrition Programme of Anganwadi Services (Integrated Child Development Services Scheme) of the Central Government to every pregnant woman and lactating mother till six months after child birth, and every child in the age group of six months to six years (including those suffering from malnutrition).

(2) The Supplementary Nutrition under the Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) is primarily designed to bridge the gap between the Recommended Dietary Allowance and the Average Daily Intake.

- 4. Place of serving meal.**— (1) The Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) is a self-selecting scheme and the entitlements, as mentioned in clause (a) of section 4, clause (a) of sub-section (1) of section 5 and section 6 shall be available to those who enrol themselves and visit the nearest anganwadi centre during its working hours, as notified by the State Government or the Union territory Administration from time to time.

(2) The meal shall be served at the nearest anganwadi centres where the beneficiary is registered or enrolled.

- 5. Supplementary Nutrition under ICDS.**— The Supplementary Nutrition under the Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) for different categories of beneficiaries shall be as under:-

S. No.	Categories	Type of meal or food as per the nutritional standards specified in Schedule II of the Act
(1)	(2)	(3)
1.	Children (Between 6 to 36 months)	Take home ration as per Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) guidelines in conformity with the provisions of the Act.
2.	Malnourished children (Between 6 to 36 months)	The same type of take home ration as above with food supplement of 800 calories and 20-25 grams of protein.
3.	Children (Between 3 to 6 years)	Morning snacks and hot cooked meal as per Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) norms.
4.	Malnourished children (Between 3 to 6 years)	Additional 300 calories of energy and 8-10 grams of protein in addition to the meal or food provided to children between three to six years.
5.	Pregnant women and lactating or nursing mothers	Take home ration as per Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) guidelines in conformity with the provisions of the Act.

*Note:- Early initiation and exclusive breast feeding shall be promoted for children up to the age of six months. Adequate age-appropriate complementary feeding (cereal based) shall be ensured for children from six months to twelve months of age and balanced food shall be provided from twelve months to twenty-four months along with continued breast feeding.*

6. **Nutritional standards.**— The nutritional standards shall be the same as provided in Schedule II of the Act and the Nutritional and Feeding norms issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time.

### **PART III – MAINTENANCE OF STANDARD AND QUALITY OF MEAL, THEIR ENFORCEMENT AND MONITORING**

7. **Preparation of meal and maintenance of its standard and quality.**—

(1) The procurement of food items and preparation of meals by the State Governments and the Union territory Administrations shall be in accordance with the guidelines, instructions or orders issued by the Central Government from time to time in conformity with various directions issued by Supreme Court of India, the provisions of Schedule II to the Act and any other law for the time being in force.

(2) The State Governments and the Union territory Administrations, with the support of Food and Nutrition Board (hereinafter referred to as the Board) shall ensure the quality of supplementary nutrition with reference to the norms of food safety, as well as food composition.

(3) The Supplementary Nutrition shall conform to the standards laid down under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) to ensure consistent quality and nutritive value of the intervention per serving and it shall also be ensured that the meal is prepared in kitchen having adequate sanitation and safe drinking water to maintain hygienic conditions.

(4) It shall be the responsibility of the concerned District Programme Officer and the Child Development Project Officer under the Anganwadi Services (Integrated Child Development Services) to ensure the quality of supplementary nutrition with reference to the norms of food safety, as well as food composition.

(5) The Board, in collaboration with the State Governments and the Union territory Administrations, shall carry out periodic checks and test the meal or get it tested through the Government Food Research Laboratories accredited or recognised by any law for the time being in force, so as to ensure that the meal meets with the nutritional standards and quality specified in Schedule II of the Act.

(6) Similarly, the officers, as authorised by the State Governments or the Union territory Administrations, shall also conduct surprise checks and draw samples and get them tested through the above laboratories to ensure quality and nutrient value of the meal.

(7) The food should be tasted by the anganwadi worker or helper before it is served to the beneficiaries at anganwadi centre.

8. **Food Security Allowance.**— (1) In case of non-supply of meal to the beneficiaries in anganwadi centre on any day due to non-availability of food grains or any other reason, the State Governments or Union territory Administrations shall pay food security allowance as defined in clause (d) of rule 2 to every beneficiary referred to in rule 3 as per rates specified in rule 11:

Provided that in case the beneficiaries have not taken food on offer for whatever reasons, no claim of food security allowance shall lie with the State Government or Union territory Administration or anganwadi centre:

Provided further that subject to the provisions of rule 7, no claim shall lie with State Government or Union territory Administration for reasons of quality of food grains and meal.

(2) On receipt of a complaint from beneficiary for non-supply of foodgrains, the concerned State Government or Union territory Administration shall enquire the issue, and in case it is decided to pay food security allowance to the beneficiary, the same shall be paid to the beneficiary, as per the entitlement, within one month of decision on the complaint.

(3) The State Government or Union territory Administration shall take action to fix responsibility on the person or agency in accordance with the procedure laid down, if meal is not provided in anganwadi centre continuously for three days or at least for five days in a month.

9. **Responsibility to monitor and review arrangement for supplementary nutrition.**— The respective State Governments and Union territory Administrations, and the Monitoring and Review Committees at the National, State, District, Block and anganwadi levels, constituted by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time, shall be responsible to monitor and review the status of arrangement for Supplementary Nutrition, convergence with the line departments to ensure water and sanitation facilities, ensure regular functioning of

anganwadi centres, ensure regular supply of Supplementary Nutrition at anganwadi centres without disruptions and use of iodised or iron fortified iodised salts, ensure monitoring and supervision visits by officials at different levels as per norms, method of delivery of supplementary food at anganwadi centres, engagement of Self Help Groups, ensure supply and quality of Supplementary Nutrition through them and all other issues relating to the above, as per their roles defined in the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time:

Provided that till the engagement of Self Help Groups, the supply of Supplementary Nutrition shall be ensured from such other sources or approved agencies in terms of the existing rules and regulations notified by the Central Government and the State Governments or Union territory Administrations.

#### PART IV – COST NORMS AND COST SHARING

**10. Supplementary Nutrition norms.**— The Supplementary Nutrition shall be in conformity with the Revised Nutritional and Feeding norms issued by the Central Government in the Ministry of Women and Child Development from time to time.

**11. Cost norms for Supplementary Nutrition.**— The cost norms for the Supplementary Nutrition for various categories of beneficiaries shall be as under or as may be revised by the Central Government:

S. No.	Categories	Present rates (per beneficiary per day)
(1)	(2)	(3)
1.	Children (Between 6 to 72 months)	Rs.6.00
2.	Malnourished children (Between 6 to 72 months)	Rs.9.00
3.	Pregnant women and lactating or nursing mothers	Rs.7.00

**12. Proportion of cost sharing of Supplementary Nutrition.**— (1) The cost of supplementary nutrition under the Anganwadi Services (Integrated Child Development Services), as per these rules, shall be shared by the Central Government and the State Governments or Union territory Administrations with Legislatures, namely, Delhi and Puducherry, in equal proportion except the States of Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand where the Central Government shall bear ninety per cent. of the cost and the remaining ten per cent. shall be borne by such State Governments or as revised by the Central Government from time to time.

(2) For the Union territories, namely, the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep, the Central Government shall bear entire cost of providing supplementary nutrition under Anganwadi Services (Integrated Child Development Services Scheme) or as revised by the Central Government from time to time.

**13. Rules not in derogation of any Scheme.**— The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation of any existing Scheme implemented by the Central Government.

[F. No. 22-3/2016-CD-III]

LEENA NAIR, Secy.